संख्या-437/2017/1862/22-2-2016-17(92)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2017***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लेखपाल पुत्र श्री तिलकराम निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लेखपाल पुत्र श्री तिलकराम, निवासी-इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। वर्ष 1962 में हुई लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने का लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.01.1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गड़ासा, भाला से मारकर हत्या कर दी, इसके बाद गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.06.2016 तक 12 वर्ष 03 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी वर्ष 1962 में हुई लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने का लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.01.1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गड़ासा, भाला से मारकर हत्या कर दी, इसके बाद गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लेखपाल पुत्र श्री तिलकराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि 05 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लेखपाल (बन्दी संख्या-10624) पुत्र श्री तिलकराम निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-437/2017/1862(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-437/2017/1862/22-2-2016-17(92)/2013

दिनांक 14 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लेखपाल पुत्र श्री तिलकराम, निवासी-इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। वर्ष 1962 में हुई लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने का लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.01.1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गड़ासा, भाला से मारकर हत्या कर दी, इसके बाद गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से मारकर हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.06.2016 तक 12 वर्ष 03 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी वर्ष 1962 में हुई लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने का लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.01.1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गड़ासा, भाला से मारकर हत्या कर दी, इसके बाद गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारों से मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लेखपाल पुत्र श्री तिलकराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि 05 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in